(234)

न्यायालय : राजस्व मंण्डलल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्टरीवा, ॥म0प्र0॥

पुनरीक्षण क्र0/ /015

Rs. 20/-

RS139-II/15

सुरेन्द्र प्रताप सिंह तनय तेज वहादुर सिंह निवासी खैरही, तहसील गोपदबनास जिला सीधी, म0प्र0.

----आवेदक

विरूद्ध

01- राकेश रोशन शुक्ला पिता ओम प्रकाश शुक्ला निवासी रामगढ, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी, म0प्र0.

02- म0प्र0 शासन

----- अना0गण.

शिवप्रसाद द्विवेदी एड के द्वारा आज दिनांक 3-11-15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला सीधी, म0प्र0 दिनांक 10.09.015 जो प्रकरण क्र0 129/निग./09-10 मे पारित ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारो पर प्रस्तुत है :-

॥01॥ अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.09.015 जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण क्र0 10-अ-74/09-10 मे पारित आदेश दिनांक 30.12.09 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी संक्षिप्तः निरस्त की गई है, न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्यहै ।

॥02॥ विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के मुख्य बिन्दु पर विचार किए बिना निगरानी को संक्षिप्तः निरस्त व अग्राह्य कियाहै जबकि पक्षकारो

(234)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5139-II / 15 जिला–सीधी

सुरेन्द्र प्रताप सिंह / राकेश रोसन

(1)	(2)
19.12-18	1. आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 129 / निगरानी / 2009–2010 में पारित आदेश दिनांक 10.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

य

किए बिना निगरानी को संक्षिप्ततः निरस्त व अग्राह्य किया है जबकि पक्षकारो